



औरैया पुलिस

प्रेस-नोट

दिनांक: 29.12.2025

थाना अजीतमल व कोतवाली औरैया तथा एस0ओ0जी0/सर्विलांस की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा थाना कोतवाली औरैया क्षेत्रान्तर्गत हुई लूट की घटना से संबंधित 02 अभियुक्तगण को पुलिस मुठभेड़ में व प्रकाश में आए एक अभियुक्त को शत-प्रतिशत माल सहित किया गया गिरफ्तार-

कार्यवाही- श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर व श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर परिक्षेत्र, कानपुर द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक औरैया के निर्देशन में व अपर पुलिस अधीक्षक औरैया व क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल पर्यवेक्षण में दिनांक 28.12.2025 को थाना अजीतमल/कोतवाली औरैया व एस0ओ0जी0/सर्विलांस की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा थाना कोतवाली औरैया पर पंजीकृत मु0अ0सं0 893/25 धारा 309(4) बीएनएस का सफल अनावरण करते हुए 02 नफर अभियुक्तगण-01.शुभम कन्नौजिया 02.सनी दोहरे को पुलिस मुठभेड़ के पश्चात गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से 02 अवैध तमंचे, 06 जिन्दा कारतूस, 04 अदद खोखा कारतूस .315 बोर व सफेद धातु वजन 501 ग्राम, पीली धातु वजन 243 ग्राम, कुल 3,29,190/- रुपये नकद तथा घटना में प्रयुक्त एक चोरी की अपाचे मोटर साइकिल बरामद कर प्रकाश में आए अभियुक्त- आलोक शर्मा की गिरफ्तारी की गई।

घटना का संक्षिप्त विवरण- दिनांक 09.12.25 को वादी श्री अनूप कुमार तिवारी द्वारा दी गई लूट संबंधित तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली औरैया पर मु0अ0सं0 893/2025 धारा 309(4) बीएनएस पंजीकृत किया गया था तथा उच्चाधिकारियों द्वारा घटना के शीघ्र अनावरण हेतु टीमों का गठन किया गया जिसके क्रम में आज दिनांक 28.12.2025 को थाना कोतवाली औरैया व स्वाट/सर्विलांस की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा साई मन्दिर कानपुर इटावा रोड पर संदिग्ध व्यक्ति/वाहन की चैकिंग की जा रही थी इसी दौरान कन्ट्रोल रूम द्वारा अवगत कराया गया कि थाना प्रभारी अजीतमल द्वारा मुरादगंज में चैकिंग के दौरान नीली अपाचे सवार दो व्यक्तियों को रोकने का इशारा किया गया परन्तु मोटर साइकिल नहीं रोकी गयी, मोटरसाइकिल सवार तमंचा लहराते हुए चिरुहली ओवरब्रिज से पन्हर नहर औरैया की तरफ भागे जिनका थाना अजीतमल पुलिस द्वारा पीछा किया जा रहा है उक्त सूचना पर थाना कोतवाली औरैया व स्वाट/सर्विलांस की संयुक्त पुलिस टीम **पन्हर नहर की पटरी** के पास एक नीली मोटर साइकिल पर सवार दो संदिग्ध व्यक्ति को रोकने का इशारा किया तथा आगे-पीछे से अपने को पुलिस से घिरा हुआ देख दोनो संदिग्ध व्यक्ति मोटर साइकिल व हेलमेट को वहीं पर छोड़कर हाथ में एक बैग लेकर खेतों की तरफ भागने लगे तथा इसी दौरान उक्त द्वारा पीछे मुड़कर पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायर किया गया। पुलिस टीम द्वारा सिखलाये हुए तरीके से आत्मरक्षार्थ व पकड़ने के उद्देश्य से फायरिंग की गयी जिसमें दोनो अभियुक्तगण- सनी दोहरे व शुभम कन्नौजिया के पैर में गोली लगने से गिर पड़े, दोनों घायल अभियुक्तगण को पुलिस टीम द्वारा समय 17.35 बजे हिरासत में लेकर तत्काल उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया तथा अभियुक्तगण के कब्जे से 02 अवैध तमंचे, 06 जिन्दा कारतूस, व 04 अदद खोखा कारतूस .315 बोर तथा एक बैग से सफेद धातु वजन 501 ग्राम, पीली धातु वजन 243 ग्राम, कुल 3,29,190/- रुपये नकद तथा घटना में प्रयुक्त एक चोरी की अपाचे मोटर साइकिल बरामद की गई। पुछताछ व बरामदगी के आधार पर मु0अ0सं0 937/25 धारा 109(1) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया तथा मु0अ0सं0 893/25 मे धारा 317(2)/317(4) बीएनएस की बढोतरी की व प्रकाश में अभियुक्त- आलोक को दिनांक 29.12.2025 को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पूछताछ का विवरण- अभियुक्तगण द्वारा बताया गया कि वादी अनूप तिवारी की बहन गीतु के ड्राइवर आलोक शर्मा पुत्र स्व0 महावीर प्रसाद शर्मा निवासी बरहुआ मल्लंवा जनपद हरदोई हाल नि0 सलेमपुर पतौरा थाना पारा जनपद लखनऊ ने बताया कि गीतु का भाई अनूप कुमार तिवारी शिक्षा विभाग में टीचर हैं तथा उसके घर में बहुत पैसा व सोने चांदी के जेवरात रखे हैं और अनूप की माँ सुमनलता घर पर अकेली रहती है यदि योजना बनाई जाए तो माल मिल सकता है दिनांक 09.12.2025 को हम लोगों ने आलोक के कहने पर योजनाबद्ध तरीके से जब अनूप ड्यूटी पर चला गया उसकी माँ व एक छोटा बच्चा घर पर थे तभी दोपहर 12.00 बजे हम दोनों लोग अनूप के घर में घुस गए और अनूप की माँ को बंधक बनाकर उसकी माँ को धमकाकर लगभग 03 लाख रुपए नगद एवं काफी तादात में सोने व चांदी के जेवरात ले गये जो हम लोगों के पास से आपको बरामद हुए हैं। आज हम लोग उसी जेवरात व पैसों का बटवारा करने आए थे कि हमें चारों तरफ से पुलिस ने घेर लिया। घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल के संबंध में अभियुक्तगण ने बताया कि उक्त नीली अपाचे मोटर साइकिल को उन्होंने आलोक के साथ मिलकर उन्नाव से चोरी की थी तथा उक्त लूट की घटना कारित की थी।

गिरफ्तार अभियुक्तगण विवरण-

1. सनी दोहरे पुत्र मलखान उम्र करीब 28 वर्ष निवासी पलिया बूचपुर थाना तालग्राम जनपद कन्नौज।
2. शुभम कन्नौजिया पुत्र ओम प्रकाश उम्र करीब 30 वर्ष निवासी ग्राम देव मानपुर थाना मल्लावां जनपद हरदोई।
3. आलोक शर्मा पुत्र स्व0 महावीर प्रसाद शर्मा निवासी बरहुआ मल्लंवा जनपद हरदोई हाल नि0 सलेमपुर पतौरा थाना पारा जनपद लखनऊ उम्र करीब 29 वर्ष

अनावरित अभियोग -

1. मु0अ0सं0 893/25 धारा 309(4) बीएनएस व धारा बढोत्तरी धारा 317(2)/317(4) बीएनएस थाना कोतवाली औरैया जनपद औरैया।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 937/2025 धारा 109(1) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली जनपद औरैया

अपराधिक इतिहास-

1. अभियुक्त शुभम कन्नौजिया उपरोक्त का अपराधिक इतिहास-

01. मु0अ0सं0 19/2017 धारा 41/411/419/420 भ.द.वि. थाना मल्लावा जनपद हरदोई।
02. मु0अ0सं0 20/20217 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट. थाना मल्लावा जनपद हरदोई।
03. मु0अ0सं0 24/2017 धारा 41/411/419/420 भ.द.वि. थाना मल्लावा जनपद हरदोई।
04. मु0अ0सं0 129/2017 धारा 2/3 उ0प्र0 गिरोहबन्द थाना मल्लावा जनपद हरदोई।
05. मु0अ0सं0 293/2020 धारा 41 भ.द.वि. समाज विरोध अधि0 थाना सुरसा जनपद हरदोई।

2. अभियुक्त सनी दोहरे उपरोक्त का अपराधिक इतिहास-

01. मु0अ0सं0- 371/2018 धारा 304(B)/498(A) भ.द.वि. थाना तालग्राम जनपद कन्नौज
02. मु0अ0सं0- 40/2021 धारा 354/363/366 भ.द.वि. व 7/8 पॉक्सो एक्ट. थाना तालग्राम जनपद कन्नौज

3. अभियुक्त आलोक शर्मा पुत्र स्व0 महावीर प्रसाद शर्मा उपरोक्त का अपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 416/2019 धारा 411 भादवि0 थाना कोतवाली जनपद कन्नौज
2. मु0अ0सं0 417/2019 धारा 420, 467, 468, 471 भादवि0 थाना कोतवाली जनपद कन्नौज
3. मु0अ0सं0 418/2019 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली जनपद कन्नौज

बरामदगी-

1. दो अवैध तमंचा .315 बोर
2. 06 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर
3. 04 अदद खोखा कारतूस .315 बोर
4. कुल 3,29,190/- रुपये नकद
5. दो अदद एन्ड्रॉयड मोबाइल।
6. पीली धातु 243 ग्राम- चार चूड़ी, तीन गले के हार, दो चैन, एक माथे का टीका, एक मोती माला लाकेट, पांच जोड़ी झुमके, दो जोड़ी टाप्स, एक जोड़ी कुण्डल, एक जोड़ी बाली, एक ओम लाकट, दो मर्दाना अंगूठी, दो जनाना, एक छोटी टाप्स, एक नथुनी
7. सफेद धातु 501 ग्राम- एक जोड़ी पायल, तीन जोड़ी पुरानी पायल, एक कमरबन्द, एक जोड़ी पायल बच्चे की, एक जोड़ी कंगन बच्चे के, उन्नीस जोड़ी विछिया, पांच अदद विछिया, एक पायल, दो घुंघरू, एक जोड़ी घुंघरू, एक घुंघरू, चार पायल के कुण्डे, एक घुंघरू, एक पायल का कुण्डा, एक दीपक, एक लाकट, एक भगवान की मूरत, एक चौकी का जूड़ा, एक रिंग, एक मछली, एक कटोरी, एक राधाकृष्ण की मूर्ति, अठासी सिक्के पुराने /नये
8. घटना में प्रयुक्त नीली अपाचे मोटर साइकिल (यूपी 35- बीसी- 3963)

गिरफ्तारकर्ता पुलिस टीम-

01. प्रभारी निरीक्षक थाना अजीतमल श्री ललितेश त्रिपाठी मय हमराह
02. प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली औरैया श्री सत्यप्रकाश मय हमराह
03. प्रभारी सर्विलांस टीम उ0नि0 समित चौधरी मय टीम
04. व0उ0नि0 तौकीर खान मय हमराह थाना कोतवाली औरैया
05. उ0नि0 धर्मेन्द्र कुमार मय हमराह थाना कोतवाली औरैया
06. उ0नि0 गनेश गुप्ता मय हमराह थाना कोतवाली औरैया

